स्टार पॉइंट वाले पैराग्राफ प्रीललम्स एग्जाम के ललए अति महत्वपूर्ण हैं

Result Mitra IAS/PCS Daily Magazine Content

उपभोक्ता संरक्षण एक्ट और आयोग

❖ हालिया संदर्भ :

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने क्रेडिट कार्ड से संबंधित एक अहम निर्णय दिया है।
- SC ने विभिन्न बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड द्वारा किसी भुगतान–समय–सीमा में देर किए जाने पर वसूले जाने वाले ब्याज दर को 'अनुचित व्यापार व्यवहार' के रूप में चुनौती नहीं दिए जा सकने के संबंध में फैसला सुनाया।

❖ निर्णायक निर्णय :

- *** SC ने निर्णय देकर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण (NCDRC) के 2008 के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें NCDRC ने कहा था कि बैंक क्रेडिट कार्ड द्वारा समय–सीमा के बाद भुगतान किए जाने पर ग्राहकों से 30% से ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते।
- *** SC ने माना कि भारत में RBI (Reserve Bank of India) एकमात्र ऐसा प्राधिकरण है, जो ब्याज–दरों की सीमा तय कर सकता है।
- SC ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करके RBI के क्षेत्राधिकार एवं विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती है।

स्टार पॉइंट वाले पैराग्राफ प्रीललम्स एग्जाम के ललए अति महत्वपूर्ण हैं

❖ मामला :

- *** "आवाज" पुनीता सोसाइटी एवं अन्य vs RBI और अन्य मामले (2017) में याचिकाकर्ताओं ने शिकायत दर्ज की थी कि कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड भुगतान में देरी होने पर 36–49% वार्षिक दर से ब्याज लगा रहे हैं, जो अत्यधिक है।
- याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–1986" के तहत एक अनुचित व्यवहार है।
- उन्होंने कहा कि RBI को एक दिशा–निर्देश जारी कर बैंकों को अत्यधिक ब्याज वसूलने से प्रतिबंधित करना चाहिए।
- *** RBI ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने बैंकों को अत्यधिक ब्याज न लेने के लिए निर्देश दिया था लेकिन किसी निश्चित ब्याज दर को तय किए बिना इसे निर्धारित करने का दायित्व बैंकों पर छोड़ दिया।
- 2007 में RBI द्वारा जारी निर्देश में RBI ने अत्यधिक ब्याज दरों को गैर–टिकाऊ प्रवृत्ति का एवं सामान्य बैंकिंग प्रणाली के लिए उचित नहीं माना तथा बैंकों को सलाह दी कि वे 'उच्च आंतरिक एवं सैद्धांतिक प्रक्रियाएं' अपनाए।

\

❖ बैंकों का तर्क :

- बैंकों ने तर्क दिया कि अधिकतम ब्याज दर निर्धारित करने की शक्ति सिर्फ RBI के पास है, अन्यथा लिया जाने वाला ब्याज दर बैंकिंग विनियमन एक्ट, 1949 के तहत संरक्षित था।
- बैंकों ने उपरोक्त एक्ट के 2 प्रावधानों का जिक्र किया :–

1. ** एक्ट की धारा–21A में वर्णित है कि किसी बैंकिंग कंपनी एवं देनदारों (Debtors) के बीच किसी भी लेन–देन को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि लेने वाला ब्याज दर अत्यधिक है।
2. *** 35–A में वर्णित है कि RBI विशेष परिस्थितियों में बैंकिंग कंपनियों को बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकता है।

❖ NCDRC का निर्णय :

- NCDRC ने कहा कि बैंकों को 'अनुचित व्यापार व्यवहार' बंद करने का आदेश इस आधार पर दिया जा सकता है कि 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम' में इसे व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है।
- *** किसी भी सामान की बिक्री, आपूर्ति या उपयोग को बढ़ावा देने या किसी सेवा के प्रावधान के लिए भ्रामक या अनुचित व्यवहार का उपयोग उपरोक्त एक्ट में शामिल है।
- NCDRC ने माना कि इस एक्ट के तहत बैंकिंग कंपनियां भी आती है।
- USA, UK, फिलीपींस एवं आस्ट्रेलिया सहित कई देशों से तुलना करते हुए आयोग ने पाया कि 36–49% ब्याज लेना बेहद अधिक है।
- *** आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया vs रवींद्र और अन्य मामले (2001) में SC के निर्णय का हवाला भी दिया, जिसमें SC ने फैसला दिया था कि बैंकिंग विनियमन एक्ट, 1949 की धारा–21 A एवं 35 A द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर RBI द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत ब्याज दर लिए जाने पर इसे एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा।
- NCDRC के निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा ब्याज की अधिकतम दर 30% तय की गई लेकिन 2009 में SC ने इस निर्णय पर यह कह कर रोक लगा दिया कि ऐसा करना सिर्फ RBI के अधिकार क्षेत्र में है।
- SC ने कहा कि न्यायालय का कर्तव्य सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि RBI अपने शक्तियों का दुरुपयोग न करे।

- SC ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंकों ने क्रेडिट कार्ड रखने वालों को इससे संबंधित सारे नियमों एवं शुल्क प्रणाली के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध करा दी थी।
- *** ऐसे में एक बार जब उपभोक्ता को सारे नियम–कानून का पता हो तो NCDRC उससे संबंधित नियमों की जांच नहीं कर सकता।
- *** RBI ने यह भी कहा कि अत्यधिक ब्याज दरों को 'अनुचित व्यापार व्यवहार' के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है क्योंकि बैंकों ने क्रेडिट कार्ड धारकों को धोखा देने के लिए कोई गलत बयानी नहीं की है।

❖ *** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 :

- यह एक्ट उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित रखने के उद्देश्य से 15 अप्रैल 1987 से लागू हुए।
- यह एक्ट वस्तु आपूर्ति के मामले में निर्माता एवं सेवाओं के मामले में सेवा प्रदाता पर सख्त दायित्व लागू करता है।
- उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, 2019 के द्वारा 1986 के एक्ट को प्रतिस्थापित कर दिया गया, जो 24 जुलाई 2020 से लागू हुआ।
- इस एक्ट के तहत केंद्रीय, राज्य एवं जिला–स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद या उपभोक्ता विवादों से निपटने के लिए अर्द्ध–न्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई है।

❖ *** राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग :

- यह उपभोक्ता विवादों के लिए शीर्ष निवारक मंच है, जिसे 1988 में स्थापित किया गया था। यह एक अर्द्ध–न्यायिक संस्था है।
- इसकी अध्यक्षता SC के वर्तमान या सेवानिवृत्त जज या किसी उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त जज करते हैं।
- इसके फैसले के खिलाफ अपील 30 दिनों के अंदर केवल SC में किया जा सकता है।
- यह 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले विवादों की सुनवाई करता है।

❖ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग :

- ** यह जिला विवाद निवारण आयोग का अपीलीय आयोग होता है, साथ ही यह 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के कीमत से संबंधित विवादों का निपटारा करता है।
- *** इस आयोग में किसी विवाद को निवारण के लिए विवाद उत्पन्न होने के 2 वर्ष के भीतर पेश किया जा सकता है।

❖ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग :

- *** इसमें विवाद को विवाद उत्पन्न होने के 2 वर्ष के भीतर निपटारे हेतु पेश किया जा सकता है।
- *** यहां 50 लाख रुपए तक के कीमत वाले विवादों को पेश किया जाता है।

Result Mitra

स्टार पॉइंट वाले पैराग्राफ प्रीललम्स एग्जाम के ललए अति महत्वपूर्ण हैं

MCQ–1 : सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार, क्रेडिट कार्ड धारकों द्वारा समय पर भुगतान नहीं किए जाने पर बैंकों द्वारा वसूला जाने वाला ब्याज दर–

a) केवल RBI द्वारा विनियमित किया जा सकता है।
b) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 'अनुचित व्यापार व्यवहार' के अंतर्गत शामिल है।
c) सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनियमित किया जा सकता है।
d) उपरोक्त सभी सत्य है।

Ans.–(a)

MCQ–2 : राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के संबंध में निम्न कथनों में सत्य कथन के आधार पर विकल्प का चयन करें–

a) यह एक अर्द्ध–न्यायिक निकाय है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित है।
b) इसके द्वारा दिए गए फैसले अंतिम रूप से मान्य होते हैं एवं इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
c) यह राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसलों के खिलाफ अपीलीय आयोग का कार्य करता है।
d) यह 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले विवादों का मूल रूप से निपटारा करता है।

a) केवल 1, 2 एवं 3
b) केवल 2, 3 एवं 4
c) केवल 1, 2 एवं 4
d) केवल 1, 3 एवं 4

Ans.–(d)

स्टार पॉइंट वाले पैराग्राफ प्रीललम्स एग्जाम के ललए अति महत्वपूर्ण हैं